

खात्रीज  
15.4.2025

2025/21  
फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानग  
विजयकुमार आदि बनाम पवनकुमार आदि  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) सी.पी.सी. प्रकरण संख्या 04 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
14.01.2025	<p>केवियट कर्ता ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र 148ए सी.पी.सी. पेश किया। वकील केवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रथगन/आदेश जारी करने से पूर्व मुझ केवियट कर्ता को कानूनी रूप से सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियट से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित शाखा प्रभारी मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 15.04.2025 को पेश हो।</p> <p>म 1</p>	
15.4.2025	<p>पत्रावली पेश उर्द) केवियट प्रार्थना - पत्र के 90 डिक्स डूर्न हो चुके हैं। इसलिए केवियट प्रार्थना - पत्र खात्रीज किया जाता है, पत्रावली नम्बर से काम की जाकर काउ रवेतीन तकमील जास्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>म 2</p>	

